न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 28/2021 दायर दिनांकः 06.07.2021

उनवान

1. गुडडीबाई पत्नि कन्हैयालाल जाति धाकड नि. राजपुरा बुजुर्ग तहसील सुनेल

प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पि. रतनसिंह जाति राजपूत नि. खायरावाला सुनेल तहसील सुनेल
2. विजयसिंह पि. रतनसिंह जाति राजपूत नि. खायरावाला सुनेल तहसील सुनेल
3. तूफानसिंह पि. रतनसिंह जाति राजपूत नि. खायरावाला सुनेल तहसील सुनेल
4. चन्द्रकला नाबालिग पुत्री रतनसिंह जाति राजपूत नि. खायरावाला सुनेल
5. राजकुंवर बेवा रतनसिंह जाति राजपूत नि. खायरावाला सुनेल तहसील सुनेल
6. रत्तीराम पि. रामलाल जाति धाकड नि. राजपुरा बुजुर्ग तहसील सुनेल
7. ओमसिंह पि. भगवतसिंह जाति धाकड नि. खायरावाला सुनेल तहसील सुनेल
8. जसवंतसिंह पि. भगवतसिंह जाति धाकड नि. खायरावाला सुनेल तहसील सुनेल
9. मनोहर कंवर बेवा भगवतसिंह जाति धाकड नि. खायरावाला सुनेल तहसील सुनेल
10. मोहनसिंह पि. भगवतसिंह जाति धाकड नि. खायरावाला सुनेल तहसील सुनेल
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्रीमति फरजाना मिर्जा

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री रमेशचन्द सोनी

निर्णय

दिनाकः 21.11.2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभय उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया की सहखातेदार की आराजी खाता सं. 1032 का ख.नं. 289 रकबा 4.9953 है. भूमि सुनेल में स्थित है

1

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

जिसमें प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रार्थीया की सहखातेदारी की आराजी पर आने जाने का रास्ता आम रास्ता से उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिम दिशा में खाता.सं. 1295 के ख.नं. 3088/294 व खाता सं. 379 के ख.नं. 3295/290 की पश्चिम दिशा की मेड से होकर ख.नं. 289 का सहखातेदार रत्तीराम के मड की आराजी की ओर प्रार्थीया की आराजी खाता सं. 1132 के ख.नं. 289 की आराजी पर पश्चिम दिशा की तरफ आम रास्ता है जिसे अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के रास्ते को फसल बोकर रास्ता बंद कर दिया है। जिसे ए से बी, बी से सी, सी से डी की ओर बंद कर दिया है। डी पाईट पर प्रार्थीया का खेत शुरू होता है जो ट्रेस नक्शे की फोटोप्रति पर नजरी नक्शा परिशिष्ट ए जिसमें रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसे प्रार्थना पत्र में मांगे गये रास्ते बाबत तैयार किया गया है। परिशिष्ट ए नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र की मांग है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 से 10 प्रार्थीया से हमेशा उक्त रास्ते को लेकर लडाई झगडा करते रहते है कभी आने जाने देते है कभी बंद कर देते है। उक्त रास्ता प्रार्थीया के कृषि कार्य के लिये आने जाने के लिये आवश्यक है। यह रास्ता सरल व सुगम है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास आने जाने का कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीया हमेशा से इसी रास्ते से अपने खेत पर आती जाती रही है। इस रास्ते को अप्रार्थी सं. 1 से 10 ने फसल बोकर बंद कर दिया है और अप्रार्थी सं. 1 से 10 प्रार्थीया को खेत पर आने जाने नहीं दे रहे है लडाई झगडा कर रहे है। प्रार्थीया ने अपने खेत पर इसी रास्ते से जाकर फसल बोई है। अब प्रार्थीया अपनी फसल की देखभाल करने नहीं जा पा रही है जिससे प्रार्थीया को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। यह कि उक्त रास्ता अप्रार्थी सं. 1 से 10 ने बंद कर दिया इसलिये प्रार्थीया अपने खेत पर आने जाने के रास्ते के लिये डीएलसी दर से राशि जमा कराकर धारा 251 ए राज.टी.एक्ट के तहत 12 फीट चौडा रास्ता की आवश्यकता है। 12 फीट चौडा रास्ता आम रास्ते से उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिम दिशा में खाता.सं. 1295 के ख.नं. 3088/294 व खाता सं. 379 के ख.नं. 3295/290 की पश्चिम दिशा की मेड से होकर ख.नं. 289 का सहखातेदार रत्तीराम के मेड की आराजी की ओर प्रार्थीया की आराजी खाता सं. 1132 के ख.नं. 289 की आराजी पर पश्चिम दिशा की तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आम रास्ता है जिसे परिशिष्ट ए नजरी नक्शे में दर्शाया गया है जो ए से बी, बी से सी, सी से डी की ओर डी पाईट पर प्रार्थीया का खेत है और अप्रार्थी सं. 1 से 10 ने ए से डी पाईट तक के रास्ते को बंद कर दिया है। यह कि प्रार्थीया को अपनी आराजी पर आने जाने के लिये 12 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है ताकि प्रार्थीया अपने खेत पर कृषि कार्य हेतु टेक्टर टाली बेलगाडी ला ले जा सके व स्वयं भी बिना किसी व्यवधान के शांति पूर्वक अपने खेत पर आ जा सके। यह कि इसलिये प्रार्थीया माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर रही है ताकि विवाद समाप्त हो जावे और प्रार्थीया के खेत पर आने जाने का रास्त हमेशा के लिये राजस्व रिकार्ड नक्शे में दर्ज हो जावे। यह कि प्रार्थीया महिला है वह लडाई झगडा विवाद नहीं चाहती है इसलिये प्रार्थीया डीएलसी दर से रास्ता लेना चाहती है क्योंकि प्रार्थीया की आराजी पर आने जाने का एक मात्र सुगम सरल उपयोग उपभोग का हमेशा से यही रास्ता है जिसे अप्रार्थी सं. 1 से 10 ने बंद कर दिया है। यह कि उक्त रास्ते के विवाद के निपटारे हेतु तहसीलदार सा. को आदेश करे कि वह मौके पर जाकर रास्ते के निशान सुनिश्चित करे व राजस्व रिकार्ड में रास्ते को इंडीकेट करे ताकि प्रार्थीया को डीएलसी दर से रास्ता मिलने में आसानी रहे। यह कि प्रतिवादी सं. 11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से अवधि मध्य उचित कोर्ट फीस पेश है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को उसके खेत का रास्ता उक्त अप्रार्थीगण की आराजी खाता.सं. 1295 के ख.नं. 3088/294 व खाता सं. 323के ख.नं. 3295/290 की पश्चिम दिशा की मेड से व प्रार्थीया के सहखातेदार अप्रार्थी रत्तीराम की आराजी की पश्चिम दिशा की मेड से होकर रास्ता प्रार्थीया की आराजी खाता सं. 1132 के ख. नं. 289 की आराजी पर पश्चिम दिशा की तरफ आता है जिसे परिशिष्ट ए नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है उक्त रास्ता ए से बी, बी से सी, सी से डी की ओर प्रार्थीया के खेत पर पहु[illegible] डी पाईट पर प्रार्थीया का खेत शुरू होता है जि[illegible] पाईट तक के रास्ते को बंद कर दि[illegible] 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

फीट चौडे रास्ता प्रार्थीया को डीएलसी दर से दिलाये जाने की कृपा करें एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से जवाब पेश प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का चरण सं. 1 राजस्व रिकार्ड से संबंधित है जो स्वीकार है। चरण सं. 2 में गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया के खातेदारी पर आने जाने का रास्ता आमरास्ता (सुनेल से लालगांव) से होकर खसरा नम्बर 3088/290 की पश्चिमी मेढ़ से होकर कभी भी स्थित नहीं रहा है। सही स्थिति यह है कि प्रार्थीया के सहखातेदारी की आराजी पर आने–जाने का रास्ता, आम रास्ता (सुनेल से लालगांव) से होकर रत्तीराम आ0 रामलाल की आराजी की दक्षिणी मेढ़ से होकर खसरा नम्बर 3295/290 की पश्चिमी मेढ़ पर स्थित रहा है। प्रार्थीया वक्त खरीद से ही रत्तीराम आ0 रामलाल की आराजी की दक्षिणी मेढ़ व खसरा नम्बर 3295/290 की पश्चिमी मेढ़ व खसरा नम्बर 289 की पश्चिमी मेढ़ का उपयोग व उपभोग कर अपने सहखातेदारी की आराजी पर आती–जाती है। परिशिष्ठ (A) की नकल अप्रार्थीगण को नहीं दी गई है इसलिए जवाब परिशिष्ठ (A) का देना सम्भव नहीं है। परिशिष्ठ (A) क नकल मिलने पर जवाब का अधिकार सुरक्षित रखते है। यह कि प्रार्थना पत्र चरण –3 में वर्णित कथन व तथ्य कत्तई गलत, मनगढन्त असत्य होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया ने कभी भी एक क्षण के लिए भी अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 3088/290 का उपयोग व उपभोग नहीं किया, नहीं अप्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी पर कभी रास्ता मौजूद रहा है। यह कि प्रार्थना–पत्र चरण 4 में वर्णित कथन व तथ्य कत्तई गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया की आराजी पर आने–जाने का रास्ता सदैव से आम रास्ते (सुनेल से लालगांव) से लगत रत्तीराम आ0 रामलाल की आराजी की दक्षिण मेढ़ से होकर खसरा नम्बर 3295/290 की आराजी की दक्षिण पश्चिमी मेढ़ से होकर खसरा नम्बर 289 के सहखातेदार रत्तीराम आ0 रामलाल के खाते की आराजी की पश्चिमी मेढ़ पर स्थित रहा है, प्रार्थीया वक्त खरीद से ही रत्तीराम आ0 रामलाल की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कि मौके पर बंद है एवं रिकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर आने जाने का कोई और विकल्प नहीं है।

(3) प्रार्थी को अपनी आराजी भूमि पर आने जाने हेतु ख.नं. 3088/290 रकबा 3.0478 हेक्टूमि में से 12 गुणा 514 यानि 6166 वर्ग फीट यानि 0.0572 हे. भूमि एवं ख.नं. 3295/290 रकबा 0.8220 हे. में से 12 गुणा 173 यानि 2076 वर्ग फीट यानि 0.0192 हे. भूमि रास्ते के उपयोग में आवेगी। नजरी नक्शा संलग्न है।

4. प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम सुनेल का नजरी नक्शा परिशिष्ट ए, नक्शा ट्रेस, ग्राम सुनेल की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 1032, 1295, 379 की नकल, नक्शा ट्रेस, खसरा नक्शा दिनांक 04.07.2021 एवं गुडडीबाई का आधारकार्ड तथा प्रार्थीया का शपथ पत्र एडब्ल्यू 1 प्रस्तुत किया।

5. पेरोकार सरकार द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट, नजरी नक्शा एवं वदग्रस्त आराजी की जमाबंदी सं. 2073–76 प्रस्तुत किया।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 289 तक पहूँच हेतु प्रार्थी ख.नं. 3088/290 व 3295/290 से होकर बने व्यवस्तार्थ अस्थायी रास्ते का उपयोग करते आए है। ख.नं. 289 के अन्य सहखातेदार अप्रार्थी सं. 7 से 10 भी इसी अस्थायी रास्ते का उपयोग पहूँच हेतु करते आ रहे है लेकिन कुछ समय से अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थायी रास्ते को बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी की आराजी के पडत रहने की संभावना है। अतः नया रास्ता प्रार्थी की अति आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी आराजी ख.नं. 289 तक पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है और न ही कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध है। उक्त रास्ता ख.नं. 3088/290 के उत्तर में ख.नं. 297 से होकर बने प्रचलित रास्ते में आकर मिल जाता है। प्रार्थी रास्ते की भूमि का डी0एल0सी0 की दूगनी या न्यायालय के आदेश अनुसार अप्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने को तैयार है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 12:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर करीब 12 फीट चौडाई रास्ता दिलवाया जावे।

6. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए एवं उक्त बहस का पूरजोर विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 289 रकबा 4.9953 है. प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 6, 7, 9 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है और सहखातेदारी की भूमि में सभी सहखातेदारो को प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था। अन्य सहखातेदारो के अभाव में प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रार्थी के सहखाते की आराजी ख्नं. 289 तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी की भूमि के पास से ही रिकार्डेड रास्ता/डामर सडक ख.नं. 286 व 328 गुजर रही है। इस डामर सडक ख.त्रनं. 286 से प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता ख.नं. 287 या 288 से होकर होगा न कि ख.नं. 3295/290 व 3088/290 से होकर रहेगा। धारा 251 ए में लघुत्तम रास्त दिये जाने का प्रावधान है न कि सुविधाजनक रास्ता दिये जाने का। प्रार्थी द्वारा ख.नं. 287 या 288 के खातेदारो को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी की भूमि से होकर आता जाता नहीं है। प्रार्थी द्वारा जिस ख.नं. 297 को प्रचलित रास्ता बताया है वह खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी ख.नं. 297 के उत्तर पूर्व में स्थित ग्राम पावखेडी में निवास करते है इसलिए अपनी सुविधा के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता मांग रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

7. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल की बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थी का ख.नं. 289 में 1/4 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी द्वारा ख.नं. 3088/290 व 3292/290 की मेड से होकर जिस व्यवस्तार्थ रास्ते से आना जाना बताया है वह मौके पर बंद है और रिकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने के लिए कोई और वैकल्पिक रास्ता नहीं है। बस्त स्थिति संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाई गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(11)

8. अभिभाषकगण उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना जरूरी है:—

(i) रास्ते की अति आवश्यकता होना— ग्राम सुनेल की आराजी ख.नं. 289 की जमाबंदी सं. 2073—76 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी हिस्सा 1/4 का रिकार्डेड सहखातेदार है अर्थात प्रार्थी एक टीनेन्ट है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उक्त आराजी का सभी सहखातेदारो के मध्य बंटवारा हो रखा है और दक्षिण दिशा का हिस्सा प्रार्थी के कब्जे काश्त में है। प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की उक्त आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता नहीं है और जो कार्य व्यवस्तार्थ रास्ता ख.नं. 3088/290 व 3295/290 की मेड के सहारे बना है उसे अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया गया है जिससे खेत पडत रह गया। पेरोकार सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि प्रार्थी की आराजी पर पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है एंवं बताया गया उक्त अस्थायी रास्ता मौके पर बंद पडा हुआ है। अप्रार्थीगण ने भी बहस के दौरान स्वीकार किया कि प्रार्थी की आराजी पर पहूँच हेतु कोई रास्ता नहीं है। ग्राम सुनेल के राजस्व नक्शे, वादग्रस्त आराजी के खसरा नक्शा व नजरी नक्शा के अवलोकन से भी साबित है कि प्रार्थी की आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी रास्ता या वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से खेत पडत रह जावेगा और फसल नहीं बो पावेगा। अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की अति आवश्यकता है।

(ii) वैकल्पिक रास्ता नहीं होना — तहसीलदार सुनेल की रास्ते बावत् तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.10.2024, ग्राम सुनेल के ख.नं. 286, 289, 3088/290, 3295/290, 297 आदि की जमाबंदी सं. 2073—76, खसरा नक्शा दिनांक 04.07.2021, तहसीलदार सुनेल द्वारा ... ग्राम सुनेल का नजरी नक्शा दिनांक 15.10.2024 एवं प्रार्थी द्वारा पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की स... एवं कब्जे की आराजी 289 तक पहूँच हेतु न तो कोई रिकार्डेड रास्ता है और न ही मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः साबित है कि प्रार्थी की आराजी पर पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

(iii) सबसे लघुतम रास्ता होनाः– प्रार्थी का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु सबसे लघुत्तम रास्ता ख.नं. 3295/290 व 3088/290 की मेड से होकर आता है जबकि अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी की आराजी पर पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता मुख्य सडक ख.नं. 286 से ख.नं. 288 से होकर आता है। ग्राम सुनेल के ख.नं. 286, 289, 3088/290, 3295/290, 297, 328 आदि की जमाबंदी सं. 2073–76, ख.नं. 286 के खसरा नक्शा, तहसीलदार सुनेल द्वारा पेश ग्राम सुनेल का नजरी नक्शा दिनांक 15.10.2024 एवं प्रार्थी द्वारा पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के सहखाते एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 289 का दक्षिण भाग तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता ख.नं. 288 या 287 से होकर होगा न कि ख.नं. 3088/290 व 3295/290 की मेड से होकर है। ख.नं. 297 की जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर है कि यह निजी खातेदारी की भूमि है न कि गे.मु.रास्ता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ख.नं. 287 या 288 के खातेदारो को न तो पक्षकार बनाया है और न ही इनसे अनुतोष क्लेम किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया साबित है कि प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की आराजी ख.नं. 289 दक्षिण भाग तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता अप्रार्थीगण के ख.नं. 3088/290 व 3295/290 से होता हुआ ख.नं. 297 से होकर न होत हुए मुख्य सडक ख.नं. 286 से लगवा ख.नं. 287 या 288 से होकर होगा। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के अधीन सुविधाजनक रास्ता दिए जाने का प्रावधान नहीं है। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के अधीन लघुत्तम पहूँच मार्ग दिये जाने के प्रावधान है। **अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्त लघुत्तम पहूँच मार्ग साबित न होकर सुविधाजनक पहूँच मार्ग साबित होता है।**

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम सुनेल की वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

13

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी ... झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner